162

संख्या– / X–2–2014–12(30)2014

प्रेषक,

डॉ रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 08 सितम्बर, 2014

विषय :– मुख्यमंत्री 'हमारा पेड़ हमारा धन' योजना के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प0सं0–नि0 2031/3–5 (हमारा पेड़ हमारा धन) दि0 24 जून, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में वनों पर निर्भरता कम करने, ग्रामीणों की प्रकाष्ठ, ईंधन व चारा की मांग की पूर्ति हेतु निजी भूमि पर ईंधन, चारापत्ती, फलदार व प्रकाष्ठ प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहन देने हेतु मुख्यमंत्री 'हमारा पेड़ हमारा धन' योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश संलग्न कर आपको भेजे जा रहे हैं।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या:2242/X–2–2014–12(30)2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/उद्यान/राजस्व/ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, पंचायत, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 73 नेहरू रोड, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं–2212 / X–2–2014–12(30)2014 दि0 08 सितम्बर, 2014 का संलग्नक

मुख्यमंत्री 'हमारा पेड़ हमारा धन' योजना के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश

उत्तराखण्ड में वनों पर निर्भरता कम करने, ग्रामीणों की प्रकाष्ठ, ईधन व चारा की मांग की पूर्ति हेतु निजी भूमि पर ईधन, चारापत्ती, फलदार व प्रकाष्ठ प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहन देने हेतु मुख्यमंत्री **'हमारा पेड़ हमारा धन'** योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. यह योजना पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की निजी भूमि पर लागू होगी जिसके लिये निजी व्यक्ति, संजायत खातेदार पात्र होंगें।

2. वृक्षारोपण हेतु इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करेगें जो विभागीय वेबसाईट व वन विभाग के समस्त कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उक्त आवेदन प्रपत्र में आवेदक का नाम, पता, भूमि स्वामित्व, क्षेत्रफल, वर्तमान स्थिति, इच्छुक प्रजातियाँ, पौध प्राप्ति हेतु इच्छुक व्यवस्था आदि का विवरण होगा। समस्त आवेदकों का पंजीकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा आवेदकों के साथ ₹ 10.00 / (₹ दस मात्र) के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा। अनुबन्ध के प्रारूप में एक रूपता लाने हेतु यह प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा विधीक्षित किया जायेगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत केवल निम्न स्थानीय प्रकाष्ठ, ईधन, चारापत्ती व फलदार प्रजातियाँ रोपित की जा सकेंगी :–

(क)	प्रकाष्ठ	–	देवदार, शीशम, तुन, अन्य स्थानीय प्रकाष्ठ प्रजातियां।
(ख)	ईंधन	–	अंयार, दर्ली, कटौंज तुंग्ला आदि प्रजातियाँ।
(ग)	चारापत्ती	–	बांज, भीमल, खड़ीक, गेठी, तुषारू, तिमला, बेडू, पुतली, कांजल, फल्यॉट, खर्सू, रियॉज, मोरू, खिनुआ, दूधीला व अन्य स्थानीय प्रजाति।
(घ)	फलदार	–	मेहल, पदम, तिमला, बेडू, काफल ऑवला, बहेड़ा, हरड़ पांगर, अखरोठ, रीठा, गलगल, जंगली आम, जंगली शहतूत, भोटिया बादाम, मीठा पांगर।
(ड.)	अन्य	–	तेजपात, बांस, बुरांश, रिंगाल, खैर, सिरिस, घिंघारू, रूईस, पहाड़ी पीपल, बरगद, सेमल, मदार, अमलतास, रोहिणी, सांदन, बीजासाल।

चीड़ वृक्षों का रोपण इस योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं होगा। युकेलिप्टस, पोपलर, विदेशी सुरई, विदेशी चीड़, मोरपंखी, पोलोनिया, वैटल तथा अन्य परस्थानीय प्रजातियों का रोपण इस योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं होगा।

4. वृक्षारोपण हेतु पौध वन विभाग, उद्यान विभाग अथवा अन्यत्र जैसे–पंजीकृत महिला पौधशाला, किसान पौधशाला आदि से रियायती दरों पर खरीदी जा सकेगी। पौधों का ढुलान रोपण स्थल तक आवेदकों को स्वयं के व्यय पर करना होगा।

5. आवेदक द्वारा रोपित किये जाने वाले पौधों के सापेक्ष प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में पंजीकृत रजिस्टर में आवेदक के नाम ₹ 200.00 (₹ दो सौ मात्र) / – प्रति पौध के हिसाब से अंकित पंचवर्षीय एफ0डी0आर0 (फिक्स डिपोजिट रिसीट) अथवा एन0एस0सी0 बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी के नाम pledge किया जायेगा।

क्रमशः.....2

6. रोपित किये जा रहे वृक्षों की सुरक्षा व संरक्षण की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
7. रोपण के पाँच वर्ष के पश्चात रोपित स्वस्थ पौधों की जीवितता प्रतिशत का मूल्यांकन वन विभाग/वन पंचायत/ग्राम सभा द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा जिसके आधार पर अनुमन्य धनराशि आवेदक को दी जायेगी।
8. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, कुमाँऊ तथा मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव अपने जोन के नोडल अधिकारी होगे एवं इस योजना के क्रियान्वयन को अन्तिम रूप उनके द्वारा ही दिया जायेगा। योजना का संचालन एवं मूल्यांकन प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस योजना की प्रगति विवरण सम्बन्धित जोन द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन को उपलब्ध कराया जायेगा जो प्रतिमाह शासन को प्रगति से अवगत करायेगा।
9. यह योजना 10 वर्ष की होगी जिसमें रोपण कार्य आगामी पॉच वर्षों के लिये किया जायेगा। इस वर्ष (2014–15) में इस हेतु 50 हजार पौधों का लक्ष्य प्रस्तावित किया जाता है।
10. इस योजना के संचालन हेतु धनराशि की व्यवस्था राज्य योजना, कैम्पा, जायका तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम से की जानी प्रस्तावित है।
11. आवेदक अधिक होने पर लाभार्थियों का चयन प्रभाग स्तर पर लॉट्री के माध्यम से किया जायेगा।
12. एक आवेदक/परिवार को अधिकतम 100 सीमा तक ही पौध प्रतिवर्ष मान्य होगी।
13. योजना 2014 वर्षाकाल से लागू होगी। वर्ष 2014 के लिये आवेदन 31 सितम्बर, 2014 तक के लिये किये जायेंगें।
14. इस योजना के अन्तर्गत फलदार/चारापत्ती एवं बहुउद्देशीय पौध के रोपण को वरीयता दी जायेगी।
15. आवेदकों द्वारा किये गये रोपण को सम्बन्धित रेंज अधिकारी के सत्यापन उपरान्त ही अनुमन्य धनराशि आवेदक के नाम पंजीकृत रजिस्टर पर इंगित की जायेगी।
16. इस योजना के अन्तर्गत कन्टीजेन्सी मद के अन्तर्गत प्रशिक्षण, जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार के कार्य भी किये जायेगें।

(डॉ रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव